राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.11(9)नविवि/2020 पार्ट   जयपुर, दिनांक :– 28 JUN 2021

आदेश

मॉडल राजस्थान {नगरीय क्षेत्र शहर का नाम............(भवन विनियम)} 2020 के विनियम 15.4 के अनुसार निर्माण कार्य के दौरान आयुक्त/उपायुक्त/संबंधित जोन/प्रवर्तन अधिकारी/सचिव/अधिशाषी अधिकारी द्वारा समय समय पर भवन निर्माण का निरीक्षण किये जाने का प्रावधान है। पूर्व मे प्रचलित भवन विनियमों के अनुसार प्लिन्थ लेवल तक निर्माण के पश्चात् मौका निरीक्षण किया जाकर किया गया निर्माण अनुमोदित भवन मानचित्रों के अनुरूप पाये जाने पर ही अग्रिम निर्माण स्वीकृति जारी किये जाने का प्रावधान था। तद्नुसार ही विभाग द्वारा मौका निरीक्षण हेतु ऑनलाईन सिस्टम तैयार कर लागू किया गया है।

मॉडल राजस्थान भवन विनियम, 2020 मे उपरोक्तानुसार प्लिन्थ लेवल निरीक्षण का प्रावधान विनियम 15.3 मे मध्यम जोखिम (Medium Risk Building)/अधिक जोखिम (High Risk Building) भवनो हेतु जोडा जाता है तथा प्लिन्थ लेवल निरीक्षण हेतु विनियम 19 व 20 के तहत पंजीकृत वास्तुविद्/तकनीकीविद् को अधिकृत किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मनीष गोयल)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके अधीन समस्त नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका को निर्देशित किये जाने हेतु।
5. सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
6. संयुक्त शासन सचिव प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
7. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
8. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त।
9. उप नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग।
10. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।
11. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम